



JALAUN POLICE

दिनांक- 28.11.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना आटा व थाना कदौरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना आटा में पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गैरेस्टर एक्ट में वांछित एवं 25,000/- रुपये के इनामिया 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 28.11.2025 को थाना आटा एवं थाना कदौरा पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं सुरागरी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना आटा में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गैरेस्टर अधिनियम में वांछित एवं 25,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्तगण 1. पिन्दू सिंह पुत्र इन्दल सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम करमचन्द्रपुर थाना कदौरा थाना आटा जनपद जालौन 2. शीलू सिंह पुत्र पहलवान सिंह निवासी ग्राम करमचन्द्रपुर थाना कदौरा थाना आटा जनपद जालौन को क्रमशः हरिशंकरी पुलिस थाना आटा व करमचन्द्रपुर थाना कदौरा जनपद जालौन के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. पिन्दू पुत्र इन्दल सिंह उम्र करीब 26 वर्ष नि0 ग्राम करमचन्द्रपुर थाना कदौरा जनपद जालौन
2. शीलू सिंह पुत्र पहलवान सिंह उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम करमचन्द्रपुर थाना कदौरा थाना आटा जनपद जालौन

अभि0 पिन्दू सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 76/23 धारा 379/411 भादवि थाना आटा जिला जालौन
2. मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गैरेस्टर एक्ट थाना आटा जनपद जालौन

अभि0 शीलू सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 76/23 धारा 379/411 भादवि थाना आटा जिला जालौन
2. मु0अ0सं0 21/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना आटा जिला जालौन
3. मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गैरेस्टर एक्ट थाना आटा जनपद जालौन

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी आटा मय पुलिस टीम
2. थाना प्रभारी कदौरा मय पुलिस टीम।